प्रेस विज्ञप्ति
(बिहार पुलिस मुख्यालय)
दिनांक–20.02.2023 (सं0–119)

मुंगेर जिला अन्तर्गत आग्नेयास्त्र तस्करों की गिरफ्तारी

- दिनांक 16.02.2023 को अवैध आग्नेयास्त्रों के क्रय विक्रय किये जाने की गुप्त सूचना के प्राप्त होने पर मुंगेर पुलिस के द्वारा छापामारी दल गठित कर दिलवाड़ा मोड़ के निकट वाहन चेकिंग की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।
- वाहन चेकिंग के क्रम में सफेद रंग की एक कार को रोक कर तलाशी लिये जाने के क्रम में कार सवार कुणाल कुमार तथा ऋषिकेश कुमार के पास से अवैध आग्नेयास्त्र, मैगजीन तथा कारतूस बरामद/जप्त किया गया।
- कुणाल कुमार तथा ऋषिकेश कुमार के द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि उनके द्वारा 70 हजार रुपये में सचिन विश्वकर्मा ग्राम–मकससपुर नाम के व्यक्ति से इन अवैध आग्नेयास्त्रों को खरीदा गया है।
- सचिन विश्वकर्मा के घर छापामारी तथा तलाशी के क्रम में अवैध आग्नेयास्त्र तथा अन्य सामान बरामद/जप्त किये गयें।
- सचिन विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि ग्राम मकससपुर के राजा शर्मा तथा मलयपुर के गोल्डेन कुमार के साथ मिलकर वे अवैध हथियारों के खरीद बिक्री का काम करते है तथा हथियारों की मरम्मति ग्राम–मकससपुर के हीं प्रवीण शर्मा से कराते हैं। उसने यह भी बताया कि मनसरीतल्ले निवासी वीरू राम भी हथियारों की तस्करी करता है।
- सचिन विश्वकर्मा के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर राजा शर्मा तथा प्रवीण कुमार शर्मा के घरों की तलाशी लिये जाने पर अवैध आग्नेयास्त्र, अर्द्धनिर्मित मैगजीन सहित अन्य सामान बरामद/जप्त किये गये।
- इस प्रकार इस पूरी कार्रवाई में **09 आग्नेयास्त्र तस्करों को गिरफ्तार** कर एक बड़े अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया।

1. अवैध आग्नेयास्त्र –09
2. जिन्दा कारतूस –57
3. मिस फायर कारतूस –08
4. खोखा –19
5. मैगजीन –14
6. अर्द्धनिर्मित मैगजीन –12
7. मोबाइल –10
8. नकद राशि –26,000/
9. वाहन –01
10. आग्नेयास्त्र निर्माण से संबंधित अन्य सामग्री

XXXXXXX